कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-**9454400250,** दूरभाष-**05462-260403,** ई-मेल- **spazh-up@nic.in**

संख्या-**175/2023** दिनांक-**27-05-2023**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने व आत्महत्या के दुष्प्रेरण का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 24.05.23 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाया गया व शादी करने की बात करने पर इन्कार कर दिया गया व घर वालों से शादी के लिए कहने पर घर वालो द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी दी गयी। जिससे वादिनी की पुत्री ने आत्महत्या कर लिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/23 धारा 306/504/506 भादवि बनाम 1. जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र दशरथ यादव सा0 मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 माखन सिंह द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 27.05.2023 को उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र दशरथ यादव सा0 मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को नरोत्तमपुर नहर पुलिया से समय करीब 07.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 163/23 धारा 306/504/506 IPC थाना महराजगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त – जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र दशरथ यादव सा0 मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-उ0नि0 माखन सिंह, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

का0 संगम कुमार, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने का अरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.05.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिक पुत्री को ओम चौधरी कन्नौजिया पुत्र रमेश कन्नौजिया ग्रा0 मुजफ्फपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 154/23 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 26.05.2023 को उ.नि. वसीमुद्दीन खान मय हमराह अभियोग उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त ओम चौधरी कन्नौजिया पुत्र रमेश कन्नौजिया ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को मुहम्मदपुर तिराहे से समय करीब 18.45 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- ओम चौधरी कन्नौजिया पुत्र रमेश कन्नौजिया ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-मु.अ.स. 154/23 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ.नि. वसीमुद्दीन खान मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना कोतवाली नगर</u>

<u>कूटरचित दस्तावेज के जरिए जमीन हडपने व रंगदारी मागने के अभियोग में माफिया अबू सलेम का भतीजा मो. आरिफ गिरफ्तार</u>

➡दिनांक 25.05.2023 को वादिनी शाबाना परवीन पत्नी स्व0 आदिल अहमद निवासी मोहल्ला चकला पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दिया गया कि 1.हेना पत्नी सलमान, 2.सलमान पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद निवासीगण मकान नं0-63/75 दोदीपुर थाना कोतवाली जनपद प्रयागराज, हालपता मकान नं0-288 पहाड़पुर शिब्ली नेशनल कालेज गेट के सामने थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व 3.मो0 आरिफ पुत्र अब्दुल हाकिम निवासी पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा साहिदा खातुन व जैद अहमद की सम्पत्ति हड़पने के आशय से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से मुख्तारआम व वसीयतनामा अपने नाम रजिस्टर्ड करा लेने तथा उपजिलाधिकारी मार्टिनगंज द्वारा बाद जांच उक्त कूटरचित दस्तावेज निरस्त कर देने पर साहिदा खातुन व जैद अहमद की सम्पत्ति हड़पने के लिये घर पर जाकर रंगदारी वसूलने के लिये डराने धमकाने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2023 धारा 419/420/467/468/386/120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

➡उपरोक्त अभियोग में दिनांक 26.05.2023 को 02 नामजद अभियुक्तो 1-हेना पत्नी सलमान 2-सलमान पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

➡तीसरे नामजद अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र अब्दुल हाकिम निवासी पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आज दिनांक 27.05.2023 को चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u>

मु0अ0सं0 258/2023 धारा 419/420/467/468/386/120बी भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -</u>

मो0 आरिफ पुत्र अब्दुल हाकिम निवासी पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –</u>

01.नि0 दिनेश कुमार यादव मय हमराह स्वाट टीम जनपद आजमगढ़

02.उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना कोतवाली नगर

कहासूनी के दौरान मारपीट कर जान से मारने के 04 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 26.05.2023को वादी मुकदमा द्वारा अपने मजरूब भाई के साथ थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि मेरे पड़ोस के विकास साहनी पुत्र लक्ष्मण साहनी मेरी बहन से अश्लील बाते कर रहा था इसी बात को लेकर मेरे पिता व मेरे भाई पूछताछ कर रहे थे कि उसी समय भोला साहनी पुत्र व शिवम साहनी पुत्र मुन्सी साहनी तथा डिप्टी साहनी व दरोगा साहनी पुत्रगण स्व हरिनाथ उर्फ भोभल 0आकर कहासुनी के दौरान भोला साहनी ने मेरे भाई व मेरे पिता बलिराम साहनी को लाठी डण्डा व राड से मार दिया जिससे मुझे व मेरे पिता को चोटे आयीं। मेरे पिता को घायल अवस्था में आसपास के लोग दवा ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय ले गये जहां दवा ईलाज के दौरान उनकी मृत्यू हो गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुभादवि 34/304/323/294 धारा 2023/259 0सं0अ00 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 27.05.20 को 23उ अजीत कुमार चौधरी मय 0नि0हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो .1भोला पुत्र मुंशी साहनी निथाना कोताली (कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0 .2 वर्ष 22 आजमगढ़ उम्र करीबशिवम साहनी पुत्र मुंशी साहनी निथाना कोतवाली (कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0 .3 वर्ष 20 आजमगढ़ औसत उम्र करीबडिप्टी साहनी पुत्र स्वहर 0िनाथ भोभल साहनी नि कोलबाजबहादुर 0 .4 वर्ष 32 थाना कोताली आजमगढ़ औसत उम्र करीब (कोलघाट)दरोगा साहनी पुत्र स्व 0हरिनाथ भोभर नि 0 थाना कोताली आजमगढ़ (कोलघाट) कोलबाजबहादुरको मोहटी घाट से समय करिबबजे 09.05 हिरासत पुलिस में लेकर अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – मु 506 भादवि थाना कोतवाली जनपद/504/34/304/323/294 धारा 2023/259 0सं0अ0 आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

.1भोला पुत्र मुंशी साहनी निवर्ष 22 थाना कोताली आजमगढ़ उम्र करीब (कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0।

.2 शिवम साहनी पुत्र मुंशी साहनी नि थाना कोतवाली आजमगढ़ औसत उम्र करीब (कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0 20वर्ष।

.3डिप्टी साहनी पुत्र स्वथाना कोतवाली आजमगढ़ (कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0हरिनाथ भोभल साहनी नि 0 32 औसत उम्र करीबवर्ष।

.4 दरोगा साहनी पुत्र स्वथाना कोताली आजमगढ़ औसत उम्र (कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0हरिनाथ भोभर नि 0 40 करीबवर्ष।

आपराधिक इतिहास-

डिप्टी साहनी पुत्र स्व हरिनाथ भोभल 0साहनी नि(कोलघाट) कोलबाजबहादुर 0

मु0अ0सं0 – 96/2019 धारा *325, 504, 506* भादवि

मु0अ0सं0 259/2023 धारा 294/323/304/34 भादवि

बरामदगी का विवरण - 0लाठी डण्डा 3(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तारी करने वाले टीम का विवरण–

उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी

मारपीट कर घायल करने व इलाज के दौरान मृत्यु का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक को निखिल भारती पुत्र श्री जंग बहादुर निवासी बागलखराव थाना सिधारी 25.05.2023 जनपद आजमगढ़द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षीयो 1- विरेन्द्र कुमार उर्फ बिल्ला पुत्र स्व0 रामधनी निवासीगण ग्राम बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2- अभिषेक पुत्र स्व0 रामधनी निवासीगण ग्राम बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3- जितेन्द्र पुत्र हरीमंगल राम निवासीगण अराजी देवारा करखिया सिंहीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 4- उमेश पुत्र हरीमंगल राम निवासीगण अराजी देवारा करखिया सिंहीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर एक राय होकर योजना बनाकर वादी के भाई पुल्लू को बारात में चाकू-राड , लाठी-डण्डा व ईट- पत्थर से बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया गया जिसका ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0208/2023 धारा 304/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ अवधेश कुमार द्वारा की जा रही है। 0नि0

गिरफ्तारी का विवरण अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त 0नि0को उ 27.05.2023 आज दिनांक -से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र स्व हरिंमगलराम सा0 अराजी देवारा करखिया सिहीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को बागलखराव पुलिया के पास से समय करिब रबजे गिरफ्ता 09.30 कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 0208/2023 धारा 304/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जितेन्द्र पुत्र हरीमंगल राम निवासीगण अराजी देवारा करखिया सिंहीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग वर्ष 23।

बरामदगी –

सुत इन्च 04 वालिस्त गोलाई लगभग 04 लोहे का सरिया लम्बाई 01।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. अवधेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
2. कां0 विक्की कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
3. कां0 इंदल थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- तरवा

चेकिगं के दौरान मोटर साइकिल चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार

आज दिनांक 27-05-2023 को चौकी प्रभारी बोंगरिया उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह द्वारा महगुंगंज पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिगं की जा रही थी उसी दौरान सामने से 01 मोटर साइकिल सवार आता हुआ दिखाइ दिया। जिसे रोकने पर वह गाडी तेज कर भागने का प्रयास करने लगा तथा मौजूद पुलिस बल द्वारा दौडाकर रोक लिया गया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम शिवा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द चौहान निवासीग ग्राम परशौरा थाना देवगांव आजमगढ़ उम्र करिब 22 वर्ष बताया और जब भागने का कारण पूछा गया तो बताय कि साहब मै चोरी की गाड़ी खरिदता व बेचता हुँ और चोरी भी करता हुँ। यह मोटरसाईकिल भी चोरी की ही है। जिसे मैने वर्ष 2021 में मेहनगर तहसील के पास से चोरी किया था।

➡इस मोटरसाइकल का प्रयोग मै छिप छिपाकर गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर कर रहा था। तथा अच्छी किमत देने वाले ग्रहक का इंतजार कर रहा था आज ग्राहक मिलने पर गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर बेचने जा रहा था कि रास्ते में आप लोगो ने पकड लिया। साहब मुझे माफ कर दीजिए गलती हो गयी। मैं अपनी परिवारिक जरुरतों एवं शान शौकत को पुरा करने के लिए चोरी की गाड़ी खरिदता व बेचता हुँ, भविष्य में दुबारा ऐसी गलती नही करुंगा।

➡गाड़ी का चेचिस नम्बर काफी गहनता से देखने पर खुरचे जाने के कारण चेचिस नम्बर का एक अंक / अक्षर/ स्पष्ट नही हो रहा है। तत्पश्चात और कड़ाई से पुछने पर गाड़ी का वास्तविक नम्बर पकड़े गए व्यक्ति द्वारा UP 50 AR 0218 बताया गया। जिसे मोबाइल चालान ऐप से देखने पर वाहन स्वामी का नाम प्रदीप पाण्डेय पुत्र राजनरायन पाण्डेय निवासी ग्राम हरिदासपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ज्ञात हुआ तथा गाड़ी का सही चेचिस नम्बर MBLJA05EMF9L28863 व इंजन नम्बर JA05ECF9L29338 पाया गया। पकडी गयी चोरी की मोटरसाइकल का इंजन नम्बर मिलान हेतू देखा गया तो मोटरसाइकल पर वही इंजन नम्बर (JA05ECF9L29338) पाया गया जो चालान ऐप से देखने पर पाया गया था। जिससे स्पष्ट हो गया कि यह वही गाड़ी है। जिसे पकड़े गये व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा है।

➡वाहन स्वामी के नाम व पते का तस्दिक कर वाहन स्वामी प्रदीप पाण्डेय पुत्र राजनरायन पाण्डेय से जरीए दुरभाष नम्बर 9454645555 पर सम्पर्क किया गया तो वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि साहब वर्ष 2021 में मेहनगर तहसिल के सामने से मेरी गाड़ी UP50AR0218 सुपर स्प्लैंडर रंग काला चोरी हो गई थी। परन्तु व्यस्तता के कारण मैने थाना मेहनगर में चोरी की मुकदमा पंजीकृत नही करा पाया था। तत्पश्चात बरामद शुदा चोरी की मोटरसाइकल को कब्जा पुलिस में लेकर पकड़े गए व्यक्ति को द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा 41/411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 IPC का बोध कराते हुए समय करीब 07:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 130/2023 धारा 41/411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 IPC भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द चौहान निवासीग ग्राम परशौरा थाना देवगांव आजमगढ़

बरामदगी-

super splender काला व लाल रंग की

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण -दिनांक 26 05.2023.को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि उसके पड़ोसी के रिश्तेदार शादाब उर्फ युसूफ पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा अपने प्रेम जाल मे फंसा कर शादी करने की बात को लेकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा अब शादी से इंकार कर रहा है तथा कुछ कहने पर धमकी दे रहा है के सम्बन्ध मे दिया गया जिसके आधर पर थाना स्थानीय पर मुबनाम शादाब उर्फ युशू 0वि0द0भा 506/376 धारा 2023/195 0सं0अ0फ उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-आज दिनांक 27.05.2023 को उमिथलेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद 0नि0 आजमगढ़ मय हमराहद्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शदाब उर्फ युसूफ पुत्र जमालुद्दीन सा0 जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को नया चौक कस्बा बिलरियागंज से समय करीब 8:50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -शदाब उर्फ युसूफ पुत्र जमालुद्दीन सा0 जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-मुथाना बिलरियागंज आजमगढ़ । 0वि0द0भा 506/376 धारा 23/195 0सं0अ0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि परविन्द चौहान पुत्र गामा चौहान साकिन जाफरपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ वादिनी को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर वादिनी से लगभग 02 साल तक बतौर पत्नी की तरह रखा तथा वादिनी के साथ शहवास भी किया जब वादिनी द्वारा शादी के लिए कहा तो उक्त परविन्द शादी करने से मुकर गया और बोला नही करेगे, तुम्हे जो करना है करो। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 208/23 धारा 376 भादवि दर्ज कर विवेचना प्रचलित की गयी।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त का वास्तविक नाम व पता प्रवीन चौहान पुत्र गामा चौहान साकिन जाफरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ज्ञात हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 27.05.2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभियुक्त प्रवीन चौहान पुत्र गामा चौहान साकिन जाफरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को जाफरपुर बाजार से समय करीब 09:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 208/23 धारा 376 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम – अभियुक्त अभि0 प्रवीन चौहान पुत्र गामा चौहान साकिन जाफरपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ़.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।